कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे माणकचौक जयपुर)

क्रमांक :– एफ–24/( ) ननिज/DAY-NULM/2021/304 दिनांक :– 12/10/21

जोन उपायुक्त
हवामहल–आमेर/सिविल लाईन
/आर्दश नगर/किशनपोल जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विषयः– इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर ऋण आवेदन करवाने बाबत्।

प्रसंगः– स्वायत्त शासन विभाग का पत्र क्रमांक 37415–37628 दिनांक 20.09.2021

उपरोक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा 2021–22 की पालना में विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षैत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेयर, रिक्शावाला, कुम्हार खाती, मोची, मिस्त्री, धोबी, रंग–पेंट करने वाले, नल–बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो तथा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, को बैंकों के माध्यम से रूपये 50,000/– तक का ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना हेतु आवेदक स्वयं की अथवा ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान आयोजित कैम्पों में DAY-NULM की टेबिल लगवाई जावे एवं इस योजना के पात्र व्यक्तियों के आनलाईन आवेदन हेतु ई–मित्र की सेवाऐ उपलब्ध करवाने हेतु एक ई–मित्र को बैठाने की व्यवस्था भी सुनिशिचित करावें। इस क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जारी परिपत्र 35 दिनांक 27.08.2021 के अनुसार प्रति सेवा आवेदन शुल्क 50/– निधारित हैं।

अतः योजना में नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों के आनलाईन आवेदन नजदीकी ई–मित्र एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित केम्पों में आवेदन करवाने हेतु वार्डो में कार्यरत SI, CSI को योजना का प्रचार–प्रसार करने एवं ऑललाईन आवेदन करवाने हेतु निर्देश प्रदान करावें। योजना के पम्पलेट्स की प्रति सलंग्न कर प्रेषित है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

(अवधेश मीना)
आयुक्त
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

क्रमांक :– एफ–24/( ) ननिज/DAY-NULM/2021/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक अतिरिक्त आयुक्त ,नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

Scanned with CamScanner

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021

मानननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा 2021–22 की पालना में कोविड–19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण सुविधा।

- यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम की सीमा) में रह रहें नागरिकों के लिए लागू होगी।
- योजना 01 वर्ष के लिए लागू (दिनांक 31 मार्च 2022 तक नये ऋण स्वीकृत)।

योजनान्तर्गत लाभ

- 01 वर्ष के लिए अधिकतम 50 हजार रू तक के ऋण की सुविधा।
- ब्याज मुक्त ऋण।
- ऋण के लिए किसी प्रकार की गारन्टी की आवश्यकता नहीं।
- ऋण राशि के पुर्नभुगतान 3 माह के मोरेटोरियम अवधि के बाद चौथे माह से 15 वें माह तक 12 समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

ऋण हेतु पात्रता

1. **शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वैन्डर्स**

- ऐसे पथ विक्रेता जिनको नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र अथवा पहचान दिया गया है।
- ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वे सूची में है परन्तु नगर निकाय से विक्रय प्रमाण–पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं हुए है।
- ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वेक्षण में छूट गये थे अथवा जिन्होने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् विक्रय का कार्य शुरू किया जिन्हे नगर निकाय/टाउन वेन्डिंग द्वारा अनुशंसा पत्र जारी किया गया हो।
- ऐसे पथ विक्रेता जो आस पास के विकास परिनगरीय /ग्रामीण क्षेत्रो में नगर निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर विक्रय कर रहें है जिन्हें नगर निकाय/टाउन वैन्डिंग द्वारा अनुशंसा पत्र जारी किया गया है।

2. **अनौपचारिक क्षेत्र (असंगठित क्षेत्र) में सेवायें उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति जैसे :–**

- हैयर ड्रेसर, रिक्शावाला/ऑटो रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग–पेंट करने वाले, नल–बिजली मिस्त्री, बुनाई वाले, साईकिल एवं मोटर साईकिल के मिस्त्री इत्यादि जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो।

3. **बैरोजगार युवा :–**

- ऐसे बैरोजगार युवा जो जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है।
- राजस्थान के स्थायी निवासी है।
- राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे है।
- योजना के क्रियान्वयन के समय 18–40 वर्ष की आयु के है।
- जिन्हे बेराजगार भत्ता नहीं मिल रहा है।

योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. पासपोर्ट आकार की दो फोटो
2. जनआधार कार्ड
3. आधार कार्ड
4. राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज।
5. राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज।
6. बैंक खातें की पासबुक

योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबन्धित दस्तावेज निम्नानुसार हैं :–

1. विक्रेता हेतु प्रामाण–पत्र, वेडिग आईडी कार्ड, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिश पत्र।
2. जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
3. आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसमें :–

1. वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबंधित सूचना (यदि कोई हो तो)।
2. व्यापार/व्यवसाय का प्रकार।
3. मासिक आय की स्वघोषणा। (मासिक आय 15000 से कम हो)।
4. मासिक पारिवारिक आय का विवरण सम्मिलित हो (मासिक आय 50000 से कम हो)।

आवेदन भरने की प्रक्रिया

- आवेदक स्वयं की अथवा ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in आवेदन किया जा सकेगा।
- पजीकरण के समय उपलब्ध करवाये गये मोबाईल नं० पर ओटीपी प्राप्त होगा।
- आवेदक आधार संख्या दर्ज करेगा। आधार से लिंक मोबाईल नं० पर ओटीपी दर्ज कर उसका सत्यापन करेगा।
- आधार से मोबाईल लिंक नही है तो किसी भी कियोस्क/ई–मित्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाया जा सकता है।
- मोबाईल न० सत्यापन के उपरान्त आवेदक व्यक्तिगत विवरण अंकित करेगा।
- आवेदन दर्ज होने के बाद आवेदन की सूचना प्राप्ति की प्रिंट कर अपने पास रखेगा।

अधिक जानकारी के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय DAY-NULM शाखा कमरा नं 141 में सम्पर्क करें।

Scanned with CamScanner